



डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

संख्या : ल००५०५०५० / सम्ब० / १८०७

दिनांक : ०४/०६/ २०२०

सेवा मे०

- १.प्र०० राजीव मनोहर, विभाग—भौतिकी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- २.डॉ० त्रिवेणी शिंह, विभाग—शिक्षा शास्त्र, आर०आर०पी०जी० कालेज अगेठी।
- ३.डॉ० दुर्गा विजय सिंहविभाग—वनस्पति विज्ञान, यू०पी० कालेज याराष्टी।
- ४.क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सृजि० उपवन, विजाली पारी का किला, बालमबाग, लखनऊ।

—आचार्य
—विशेषज्ञ सदस्य
—विशेषज्ञ सदस्य
—सदस्य/सचिव

विषय:- श्री गणेश जी ग्राम विकास शिक्षण संस्थान महाविद्यालय मुजगी-अम्बेडकरनगर को परालितक स्तर पर पर कला/विज्ञान संकाय के अन्तर्गत ए००५० हिन्दी संस्कृत, यू०विज्ञान, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास एवं शिक्षा शास्त्र विषयों में एवं ए००५०स-सी पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विज्ञान एवं गणित योजना के अन्तर्गत सत्र 2020-21 से सम्बद्धता (स्थाई) प्रदान करने हेतु महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि उक्त महाविद्यालय के प्रबन्धक के प्रेषित प्रस्ताव के अनुरोधानुसार वर्णित पाठ्यक्रम के विषयों में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति जी ने आपको महाविद्यालय के निरीक्षणार्थ निरीक्षक मण्डल का सदस्य नामित करने की कृपा की है।

अतः आप से अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप के अनुसार महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी सूच्य है कि निरीक्षक मण्डल द्वारा एक ही तिथि में महाविद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल के सदस्य महाविद्यालय के सामूर्णी निर्मित भवन के साथ अपनी फोटो खिचवायेंगे, जिसे हस्ताक्षर सहित निरीक्षण आख्या में संलग्न किया जायेगा। सम्पूर्ण निरीक्षण की निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के साथ वीडियोग्राफी करायी जाए, जिसमें महाविद्यालय का पूर्ण भवन बहारदीवारी, गेट, शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला कक्षों (उपकरणों सहित) अनुमोदित शिक्षकों एवं मानकानुसार बंधित अन्य अवस्थाएँ सुविद्याओं की रिकार्डिंग सम्मिलित हो तथा निरीक्षण मण्डल की आख्या के साथ सम्पूर्ण निरीक्षण की दो सी०डी० भी प्रेषित की जाय। (सूर्योरत के सम्बन्ध तिरी भी दशा में निरीक्षण कार्य न किया जाए)

निम्न विन्दुओं पर निरीक्षक मण्डल द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या देना अनिवार्य है-

१. महाविद्यालय को सवालित करने वाले समिति के पंजीकरण एवं दैवता की तिथि।
२. महाविद्यालय की मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अकित होने से संबंधित खत्तीनी मूलरूप में या छायाप्रति तहसीलदार/उपजिलाधिकारी से प्रमाणित होने की रिति।
३. महाविद्यालय की भूमि के समस्त गार्डों का संयुक्तता प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित एवं नजरी नक्शा मूलरूप में सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित होने की रिति, महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अकित भूमि का विवरण गार्डों एवं क्षेत्रफल सहित अकित किया जाए।
४. महाविद्यालय को प्रश्नगत पाठ्यक्रम में अनापति प्रदान किये जाने के आदेश संख्या एवं तिथि, अकित की जाए तथा महाविद्यालय को दी गयी अनापति जिसमें गार्डों का उल्लेख किया गया है, क्या उसी गार्डों पर महाविद्यालय निर्मित है अथवा नहीं।
५. महाविद्यालय नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत ने अवरित्थत होने की रिति में संदर्भगत निकाय के सक्षम अधिकारी का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध होने की रिति।
६. सोसायटी/ट्रस्ट की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र तथा संरक्षा की विगत तीन वर्षों की सी०५० द्वारा प्रमाणित बैलेस सीट अन्यथा की रिति में तहसीलदार द्वारा निर्मित प्रमाण पत्र।
७. मानकानुसार सोसायटी/महाविद्यालय के बवत खाते में अद्यतन जमा धनराशि।
८. मानकानुसार प्राभूत धनराशि जमा होने की रिति।
९. प्रबन्ध तत्र के द्वारा अवेदन पत्र में अकित विवरण/प्रविष्टियां तथ्यों पर आधारित एवं सही है का ५० रुपये के स्टाम्प बेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र मूल रूप में होने की रिति।
१०. रनातकोत्तर विधयों हेतु यू०जी०सी० की धारा २५५ में पंजीकृत होने की रिति।
११. महाविद्यालय में पूर्व संवादित पाठ्यक्रम व विधयों की रथायी सम्बद्धता प्राप्त होने की रिति तथा विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल।
१२. पूर्व संवादित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला पुस्तकालय व अन्य अवस्थाएँ सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट रिति, कक्ष आदि के निम्नानुसार विवरण सहित—
 - a) महाविद्यालय में पूर्व संवादित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अकित की जाय।
 - b) महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शौचालयों, पेयजल तथा बहारदीवारी आदि के निर्मित होने की रिति।
 - c) फर्नीचर एवं पुरस्कारों की व्यवस्था की रिति।
 - d) प्रायोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की रिति में सम्बद्धित प्रयोगशालाएं, स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयंत्र होने की रिति (प्रयोगशाला की संख्या सहित) मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, गैस लाइन, सिंक इत्यादि होने की स्पष्ट आख्या।
 - e) मानकानुसार शिक्षकों के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति की संविदा अवधि।
१३. याचितपाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय व अन्य अवस्थाएँ सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट रिति, कक्ष आदि के निम्नानुसार विवरण सहित—
 - a) महाविद्यालय में याचित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अकित की जाय।
 - b) महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शौचालयों, पेयजल तथा बहारदीवारी आदि के निर्मित होने की रिति।



डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

- c) फॉनीवर एवं पुस्तकों की व्यवरथा की स्थिति।

d) प्रायोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रयोगशालाएं, स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयत्र होने की स्थिति (प्रयोगशाला की संख्या सहित) मानकानुसार जल निकास व्यवरथा, गैस लाइन, सिक इत्यादि होने की स्पष्ट आख्या।

e) मानकानुसार शिक्षकों के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति की संविदा अवधि।

14. महाविद्यालय में कम्प्यूटर कक्ष, कम्प्यूटर उपकरण, यूपीएसओ, सीएचओप्यूटर आदि के साथ इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होने की स्थिति।

15. प्रबन्ध समिति के मठन व अनुमोदन की स्थिति।

16. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का फोटोप्राफ, चहारदीवारी निर्मित होने का प्रमाण पत्र, व्याख्यान कक्षों, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के सुरक्षित होने का निरीक्षण दल के साथ स्पष्ट फोटोप्राफ व फोटो पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर उपलब्ध होने की स्थिति।

17. सामूहिक नकल का आरोप न होने की स्थिति(प्रमाण संलग्न करें)।

18. नियुक्त अनुमोदित प्राचार्य एवं अध्यापकों के वेतन भुगतान बैंक के द्वारा किये जाने की पुष्टि।

19. नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुसार महाविद्यालय का भवन निर्मित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग अथवा अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा का ही एवं अभियन्त्रण सेवा का मानकानुसार व्यवरथा होने के सम्बन्ध में अद्यावधिक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।

20. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से शासनादेश के अनुरूप अण्डरट्रिकिंग निरीक्षण आख्या के अन्त में दी जायेगी।

21. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने हेतु की गयी स्पष्ट संस्तुति (स्थाई अथवा अस्थाई)।

उपरोक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता (स्थायी) के आवेदन की स्थिति में अनुमोदित प्राचार्य एवं शिक्षकों का सामूहिक हस्ताक्षरित छायाचित्र

प्रबन्धक/रायित के साथ तथा वीड़ियोग्राफी की सीटीडी० को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
सं-चुरित महाविद्यालय की निरीक्षण आख्या शासनादेश संख्या 710/सतर-2-2014-16(165)/2012टी०सी० दिनांक 14 नवम्बर 2014 के द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। निरीक्षण के उपरान्त अधिकतम 03 कार्य दिवसों की अवधि में निरीक्षण आख्या/रिपोर्ट/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निरीक्षण न किये जाने की रिप्टिं में तत्सम्बन्धी आख्या/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निरीक्षण हेतु निरीक्षण मण्डल के सदस्य/सदस्यों के महाविद्यालय पहुंचकर निरीक्षण आख्या/सूचना विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण में सहयोग करने/राहगेम न करने/धाद में निरीक्षण का अनुरोध करने अथवा अन्य तथ्य/तथ्यों का स्पष्ट विवरण करने, महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण में सहयोग करने/राहगेम न करने/धाद में निरीक्षण का अनुरोध करने अथवा अन्य तथ्य/तथ्यों का स्पष्ट विवरण करने, महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण में अकिञ्चित किया जायेगा। निरीक्षण सम्पन्न न हो भाने की रिप्टिं में भी निर्धारित बिन्दुओं पर आख्या निरीक्षण मण्डल/सदस्य द्वारा निरीक्षण आख्या में अकिञ्चित किया जायेगा। महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण के लिए और अधिक समय मांगने के सम्बन्ध में लिखित साइर निरीक्षक मण्डल द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा तथा उनकी प्रार्थना पत्र पर निरीक्षक मण्डल द्वारा सहमति की दशा में आगामी तिथि निश्चित की जायेगी। शासनादेश दिनांक 14 नवम्बर 2014 में निश्चित व्यवस्थानारार सात्र का निर्धारण किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि समयान्तर्गत निरीक्षण का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्यों एवं समयान्तर्गत निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्य/सचिव (हीत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी अथवा नागित क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य) का है। निरीक्षक मण्डल/सदस्य द्वारा उक्त निर्देशों का पालन न करने की दशा में शासनादेश संख्या 968/सत्तर-6-2016-100(18)/2016 दिनांक 12 मई 2016 के निर्देशान्वयार निरीक्षक मण्डल/सदस्य पर नियमान्वयार आवश्यक कर्तव्याही की जायेगी।

मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के समर्त व्यय जिसमें टी०५० / डी०५० एवं अन्य व्यय समिलित हैं का मुग्हतान विश्वविद्यालय द्वारा बहन किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल इस आशय का भी एक प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा कि निरीक्षक मण्डल के किसी सदस्य/सदस्यों द्वारा महाविद्यालय से निरीक्षण हेतु विधिक रूप से अमान्य/नियमों के विपरीत कोई धनराशि नहीं ली गयी है। निरीक्षक मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या (निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रपत्र/अभिलेख संलग्न कर) हेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी/राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

नोट—उल्लिखित चिन्ह संख्या 12 एवं 13 के सम्बन्ध में निरीक्षण मण्डल के हांसा गमीरता से निरीक्षण कर पृथक—पृथक प्रविष्टि स्पष्ट रूप से ख्याल अंकित की जाए।

कोरेना वार्थरसा (कोविड-19) से बचाव सम्बंधी भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शारान द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/एडवाइजरी का पूर्णतः पालन करते हुए सुखात्मक उपायों के साथ निरीक्षण सम्पन्न किया जाएगा। यह निरीक्षण कोविड-19 के दृष्टिगत शारान/जिला प्रशासन के आवागमन शर्तों व अन्य प्रतिबिन्द्यों के अधीन होगा।

३५८

उप-कूलसचिव

प्रतिलिपि-1. प्रवन्धक / सचिव (श्री गणेश जी ग्राम विकास शिक्षण संरथान महाविद्यालय, मुजगी-अम्बेडकरनगर) को इस आशय से प्रेरित है कि कृपया निरीक्षण मण्डल के सदस्यों से समर्पक रथापित कर महाविद्यालय का निरीक्षण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, निरीक्षण मण्डल को निरीक्षण में साध्योग प्रदान कराने का कष्ट करे अन्यथा की रिप्टि में समस्त उत्तरदायित महाविद्यालय का होगा। निरीक्षण होने सम्बन्धी सूचना अथवा अन्य सन्दर्भित सूचना तिथि राहित 03 कार्य दिवसों की अवधि में विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी शासन की एडवाइजरी का अनुसालन करते हुए सुखात्मक उपायों के साथ निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाएगी।

2. प्रौद्योगिक, ई-डीजीपी० सेल को इस आशय से प्रेरित है कि उक्त प्रति महाविद्यालय के लॉन्ग-इन पर अपलोड करन का कष्ट करें।

Date